राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–प0नि0 30–27/2015 2132

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
भागलपुर।

पटना, दिनांक– 9.5.24

विषय :– प्रखंड जगदीशपुर ग्राम पंचायत चाँदपुर के उप मुखिया अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 973 दिनांक 06.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्रखंड जगदीशपुर के ग्राम पंचायत चाँदपुर के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु प्रतिवेदन संलग्न करते हुए मार्गदर्शन की मांग की गई है।

प्रासंगिक पत्र में उल्लेख है कि अविश्वास प्रस्ताव हेतु बैठक की निर्धारित तिथि 10.02.2024 को सम्पन्न नहीं कराकर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अन्य तिथि 19.02.2024 निर्धारित कर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक सम्पन्न की गई। विदित हो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 157 में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु विशेष बैठकों के संचालन के संबंध में जिला दण्डाधिकारी को शक्ति प्रदत्त है न कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को।

आयोग को प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव की समीक्षोपरान्त यह भी पाया गया कि प्रखंड जगदीशपुर के ग्राम पंचायत चाँदपुर के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना में कारण/आरोप अंकित नहीं है। जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44 (3)(iv) का उल्लंघन है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त नियमानुसार आदेश पारित करते हुए प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
09/05/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

9.5.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com